कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या 61 /(ई-ऑफिस)/34-सां०वि०प्र०/2025 दिनांक 16/09/2025

प्रिय महोदय,

ई-ऑफिस

कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-40 (ई- ऑफिस)/ 34- सां०वि०प्र०/2025 दिनांक 15-07-2025, पत्र संख्या-41 (ई-ऑफिस)/ 34- सां०वि०प्र०/2025 दिनांक 15-07-2025, पत्र संख्या-42 (ई-ऑफिस)/34-सां०वि०प्र०/2025 दिनांक 15-07-2025 तथा पत्र संख्या-यू०ओ०-415/34- सां०वि०प्र०/2025, दिनांक 29 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें ई-ऑफिस की समीक्षा कर सम्बन्धित कार्मिकों/यूजर्स द्वारा लागिन कर फाइल मूवमेन्ट किये जाने के उपरान्त ही आगामी माह का उनका वेतन आहरित करने तथा 03 माह की अवधि तक लॉगिन न किये जाने पर भी उनका वेतन आहरित किये जाने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है ।

2- नोडल संस्था UPLC द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में Zoom के माध्यम से ई-ऑफिस ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र माह फरवरी, 2025 से अनवरत संचालित किए जा रहे हैं। लिंक निम्नवत है:-

Link to Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93010135808?pwd=61h5yX8B5LGksnj8ykFGn19Nqht2Z2.1 Meeting ID: 930 1013 5808 Passcode: 792095

3 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ई-ऑफिस पर प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि उक्त पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार प्रकरण मे कार्यवाही की जा रही है तथा यूजर्स द्वारा ई- ऑफिस पर लॉगिन किये जा रहे हैं।

निर्देश दिये गये हैं कि यूजर्स/कार्मिकों की प्रशिक्षण/हैंड होल्डिंग कराकर ई-ऑफिस पर उनसे कार्य प्रारम्भ करवाया जाए तथा तत्पश्चात सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन आहरित कर दिया जाए।

4- कृपया उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करायें जाने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ सचिव / विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यू.पी.एल.सी. उत्तर प्रदेश।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०) (श्री इफ्तिखार अहमद), NIC उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन)
संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री।